

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1288/दो-9-2018-53(7)/2009
लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली 2014 दिनांक-04-03-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राम पाल सिंह, (से0नि0), पी0सी0एस0 को उनकी स्वयं की एवं पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी की दिनांक 05.10.2017 से 03.03.2018 तक, दिनांक 25.10.2017 से 05.03.2018 तक एवं दिनांक 24.11.2017 से 02.04.2018 तक डा0 नरेन्द्र देव बलरामपुर हास्पिटल से व मनीष गुप्ता, डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान से एवं डा0 रजत ढेसी, प्रकाश नेत्र केन्द्र लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष कमशः धनराशि रू0-15,444/-, रू0-15,744/- एवं रू0-4,939/- अर्थात् कुल रू0-36,127/- (रूपये छत्तीस हजार एक सौ सत्ताइस मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।


3- श्री रामपाल सिंह, (से0नि0), पी0सी0एस0 का भारतीय स्टेट बैंक, विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में खाता संख्या-10016777962 तथा आई0एफ0एस0 कोड-एस0बी0आई0एन0-0004216 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या-पी-001/136/059605 है तथा यह जवाहर भवन कोषागार से पेंशन आहरित करते हैं।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1288(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
3. नियुक्ति लेखा अनुभाग को दो प्रतियों में मूल बिल/वाउचर्स सहित।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
6. श्री रामपाल सिंह, (से0नि0), पी0सी0एस0, 1/11, बिपुल खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1315/दो-9-2018-53(19)/2018
लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली 2014 दिनांक-04-03-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री महेन्द्र पाल सिंह, (से0नि0), पी0सी0एस0 को उनकी स्वयं की दिनांक 22.11.2017 से 05.01.2018 तक (संलग्न विल वाउचर्स के अनुसार) डा0 अभिनव गुप्ता, सर्वोदय हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर गाजिया बाद से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रु0-6,81,664/- (रूपये छः लाख इक्यासी हजार छः सौ चौसठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- श्री महेन्द्र पाल सिंह, (से0नि0), पी0सी0एस0 का ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, शाखा सेक्टर-23 संजय नगर गाजियाबाद में खाता संख्या-00752010061750 तथा आई0एफ0एस0 कोड-ओ0आर0बी0सी0-0100075 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या-पी-006/152/007903 है। श्री सिंह कोषागार गाजियाबाद से पेंशन आहरित करते हैं।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1315(1)/दो-9-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. मुख्य कोषाधिकारी गाजियाबाद।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद को मूल बिल/वाउचर्स सहित।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
6. श्री महेन्द्र पाल सिंह, (से0नि0), पी0सी0एस0, जी-239, सेक्टर-23, संजय नगर गाजियाबाद।
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1803/दो-9-2018-
लखनऊ दिनांक 15 जून, 2018

कार्यालय-जाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली-2014 दिनांक 04-3-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री केशव दास सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 को उनकी स्वयं की दिनांक 22-3-2018 से 27-3-2018 तक डा0आर0आर0 कैशलीवाल मेदान्ता मेडिसिटी गुड़गाँव से कराये गये उपचार पर हुए ब्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-3,90,641/- (रूपये तीन लाख नब्बे हजार छः सौ इकतालिस मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त ब्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय- ब्ययक के अनुदान संख्या '62 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य ब्यय -04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402-दिनांक 08 नवम्बर 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा ब्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- श्री केशव दास, से0नि0, पी0सी0एस0 का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सीपरी बाजार, झांसी में खाता संख्या-20259159239 तथा आई0एफ0एस0 कोड-SBIN0004566 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या- पी0-001/136/068139 है। श्री दास कोषागार, झांसी से पेंशन आहरित करते हैं।

संजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या 1803(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

पंजीकृत 2- मुख्य कोषाधिकारी, झांसी।

पंजीकृत 3- जिलाधिकारी, झांसी को मूल-बिल/बाउचर्स सहित।

4- वित्त (आय- ब्ययक) अनुभाग-1

5- श्री केशव दास, से0नि0, पी0सी0एस0, निवासी-31/4, बैंकर्स कालोनी, शिवपुरी रोड, झांसी।

6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका /कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।

आज्ञा से
निशानामुद्रा
(विश्वनाथ दुबे)
अनुसचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1473/दो-9-2018-8(15)/2003
लखनऊ: दिनांक: २५ जून, 2018

कार्यालय- झाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री घनश्याम मिश्र, उप सचिव, नियुक्ति विभाग के स्वयं के दिनांक 20.11.2017 से 06.12.2017 तक डा0 अल्पना लेले, टी.सी. आई सेन्टर, लखनऊ से कराये गये आँखों के उपचार एवं चश्मा बनवाने पर हुए व्यय के सापेक्ष **रु0-9,415/- (रूपये नौ हजार चार सौ पन्द्रह मात्र)** की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49- चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री घनश्याम मिश्र, उप सचिव, नियुक्ति विभाग का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-1473(1)/दो-9-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल बिल/वाउचर्स सहित।
- 3- वित्त (ई) अनुभाग-5/भूवित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्री घनश्याम मिश्र, उप सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1345/दो-9-2018-8(17)/2003
लखनऊ : दिनांक : 25 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 यथा संशोधित नियमावली 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री सुरेश सिंह, से0नि0 समीक्षा अधिकारी को उनकी स्वयं एवं उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश यादव की दिनांक 01.11.2017 से 31.01.2018 एवं दिनांक 12.09.2017 से 11.02.2018 तक डा0 नरेश खरे, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष क्रमशः धनराशि रू0-1,884/- एवं रू0-2,215/- अर्थात् कुल रू0-4,099/- (रूपये चार हजार निन्यानवे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01- सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402 दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- श्री सुरेश सिंह, से0नि0 समीक्षा अधिकारी का पी.पी.ओ.संख्या- पी-026/526/004847 है। बैंक खाता संख्या-10223003572 बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक, उ0प्र0 सचिवालय शाखा लखनऊ, आई.एफ.एस.कोड-एस.बी.आई.एन.-0006893 है। श्री सिंह, कोषागार जवाहर भवन लखनऊ से पेंशन आहरित करते हैं।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-1345(1)/दो-9-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. नियुक्ति (लेखा) को अतिरिक्त प्रति एवं मूल चिकित्सा बाउचर्स सहित
3. कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
4. श्री सुरेश सिंह, से0नि0 समीक्षा अधिकारी, म0नं0-589ख/804/10, मो0 द्वारिका पुरी नियर कैनाल, रिंग रोड, तेलीबाग, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. कम्प्यूटर प्रोग्रामर नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक : यथोक्त ।

आज्ञा से,
(विश्वनाथ दुबे)
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।